रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित**

**शिमला, शुक्रवार, 27 फरवरी, 2004/8 फाल्गुन, 1925**

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय**

**अधिसूचना**

**शिमला-171004, 27 फरवरी, 2004**

संख्या वि० स०-लैज-अनु० प्र०/1-11/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एव कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 (2004 का

4129-राजपत्र/2004-27-2-2004—1,408. (3581) मूल्य : 1 रुपया।

(विधेयक संख्यांक-1) जो आज दिनांक 27 फरवरी, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

(जे० आर० गाजटा),
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा ।

2004 का विधेयक संख्यांक 1

# हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2004 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए 1,94,59,61,010 रुपए की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 1,94,59,61,010 रुपए (एक सौ चरानवें करोड़, उनसठ लाख, इकसठ हजार दस रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2003-2004 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | | |
| | | | विधान सभा द्वारा दत्तमत | संचित निधि पर प्रभारित | जोड़ |
| | | | रुपए | रुपए | रुपए |
| 1 | विधान सभा | (राजस्व) | 30,40,000 | 5,15,000 | 35,55,000 |
| | | (पूंजी) | 95,00,000 | — | 95,00,000 |
| 2 | राज्यपाल और मन्त्री परिषद् | (राजस्व) | 61,50,000 | 10,80,000 | 72,30,000 |
| 3 | न्याय प्रशासन और निर्वाचन | (राजस्व) | 5,17,68,000 | 73,71,000 | 5,91,39,000 |
| 4 | सामान्य प्रशासन | (राजस्व) | 2,41,28,000 | — | 2,41,28,000 |
| 5 | भू-राजस्व और जिला प्रशासन | (राजस्व) | 3,56,81,000 | — | 3,56,81,000 |
| | | (पूंजी) | 1,50,00,000 | — | 1,50,00,000 |
| 6 | आबकारी और कराधान | (राजस्व) | 47,92,000 | — | 47,92,000 |
| 7 | पुलिस और सम्बद्ध संगठन | (राजस्व) | 9,41,46,825 | 2,30,643 | 9,43,77,468 |
| 8 | शिक्षा | (राजस्व) | 15,49,15,000 | — | 15,49,15,000 |
| 9 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | (पूंजी) | 1,00,00,000 | — | 1,00,00,000 |
| 10 | लोक निर्माण —भवन | (राजस्व) | 1,57,86,000 | — | 1,57,86,000 |
| 11 | कृषि | (राजस्व) | 3,04,87,000 | — | 3,04,87,000 |
| 12 | उद्यान | (राजस्व) | 6,30,55,000 | — | 6,30,55,000 |
| 13 | सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण | (राजस्व) | 4,00,000 | — | 4,00,000 |
| | | (पूंजी) | — | 9,62,069 | 9,62,069 |
| 14 | पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य | (पूंजी) | — | 77,558 | 77,558 |
| 15 | योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना | (राजस्व) | 5,69,11,000 | — | 5,69,11,000 |
| | | (पूंजी) | 3,57,18,000 | — | 3,57,18,000 |
| 16 | वन और वन्य जीवन | (राजस्व) | 2,000 | — | 2,000 |
| | | (पूंजी) | 20,93,000 | — | 20,93,000 |
| 17 | सड़कें और पुल | (राजस्व) | 4,14,000 | 14,82,862 | 18,96,862 |
| 18 | आपूर्ति, उद्योग और खनिज | (राजस्व) | 4,57,93,000 | — | 4,57,93,000 |
| 19 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | (राजस्व) | 4,30,82,926 | — | 4,30,82,926 |
| 20 | ग्रामीण विकास | (राजस्व) | 4,38,63,000 | — | 4,38,63,000 |
| 23 | जल और विद्युत विकास | (राजस्व) | 61,27,000 | — | 61,27,000 |
| | | (पूंजी) | 1,00,00,000 | — | 1,00,00,000 |
| 24 | मुद्रण और लेखन सामग्री | (राजस्व) | 3,06,000 | — | 3,06,000 |
| 26 | पर्यटन और नागर विमानन | (राजस्व) | 14,00,000 | — | 14,00,000 |
| 27 | श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण | (राजस्व) | 1,30,595 | — | 1,30,595 |
| 28 | जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास | (राजस्व) | 8,13,41,000 | — | 8,13,41,000 |
| | | (पूंजी) | 50,12,32,000 | 83,58,000 | 50,95,90,000 |

| 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रुपए | रुपए | रुपए |
| वित्त | (राजस्व) | 40,20,000 | 7,000 | 40,27,000 |
| | (पूंजी) | — | 43,40,48,532 | 43,40 48,532 |
| विविध सामान्य सेवाएं | (राजस्व) | 5,23,63,000 | — | 5,23,63,000 |
| | (पूंजी) | 54,69,000 | — | 54,69,000 |
| जनजातीय विकास | (राजस्व) | 2,70,02,000 | — | 2,70,02,000 |
| | (पूंजी) | 5,57,12,000 | — | 5,57,12,000 |
| | कुल जोड़ | 1,49,18,28,346 | 45,41,32,664 | 1,94,59,61,010 |
| | (राजस्व) | 84,71,04,346 | 1,06,86,505 | 85,77,90,851 |
| | (पूंजी) | 64,47,24,000 | 44,34,46,159 | 1,08,81,70,159 |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

**वीरभद्र सिंह,**
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
दिनांक 27 फरवरी, 2004.

---

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

**[वित्त विभाग, नस्ति संख्या फिन-ए-सी (2)-19/2003]**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

# हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उन का विनियोग करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

---

जे0 एल0 गुप्ता,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
दिनांक 27 फरवरी, 2004.

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 1 of 2004**

# THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2004.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth year of the Republic of India, as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2004.

Issue of a further sum of Rs. 1,94,59,61,010 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2003-2004.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 1,94,59,61,010 (one hundred and ninty four crore, fifty nine lakh and sixty one thousand and ten rupees only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2003-2004 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

## THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sums not exceeding | | |
| Demand No. | Services and purposes | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
| | | | Rs. | Rs. | Rs. |
| 1 | Vidhan Sabha | (Revenue) | 30,40,000 | 5,15,000 | 35,55,000 |
| | | (Capital) | 95,00,000 | — | 95,00,000 |
| 2 | Governor and Council of Ministers | (Revenue) | 61,50,000 | 10,80,000 | 72,30,000 |
| 3 | Administration of Justice and Election | (Revenue) | 5,17,68,000 | 73,71,000 | 5,91,39,000 |
| 4 | General Administration | (Revenue) | 2,41,28,000 | — | 2,41,28,000 |
| 5 | Land Revenue and District Administration | (Revenue) | 3,56,81,000 | — | 3,56,81,000 |
| | | (Capital) | 1,50,00,000 | — | 1,50,00,000 |
| 6 | Excise and Taxation | (Revenue) | 47,92,000 | — | 47,92,000 |
| 7 | Police and Allied Organisations | (Revenue) | 9,41,46,825 | 2,30,643 | 9,43,77,468 |
| 8 | Education | (Revenue) | 15,49,15,000 | — | 15,49,15,000 |
| 9 | Health and Family Welfare | (Capital) | 1,00,00,000 | — | 1,00,00,000 |
| 10 | Public Works—Building | (Revenue) | 1,57,86,000 | — | 1,57,86,000 |
| 11 | Agriculture | (Revenue) | 3,04,87,000 | — | 3,04,87,000 |
| 12 | Horticulture | (Revenue) | 6,30,55,000 | — | 6,30,55,000 |
| 13 | Irrigation and Flood Control | (Revenue) | 4,00,000 | — | 4,00,000 |
| | | (Capital) | — | 9,62,069 | 9,62,069 |
| 14 | Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries | (Capital) | — | 77,558 | 77,558 |
| 15 | Planning and Backward Area Sub-Plan | (Revenue) | 5,69,11,000 | — | 5,69,11,000 |
| | | (Capital) | 3,57,18,000 | — | 3,57,18,000 |
| 16 | Forest and Wild Life | (Revenue) | 2,000 | — | 2,000 |
| | | (Capital) | 20,93,000 | — | 20,93,000 |
| 17 | Roads and Bridges | (Revenue) | 4,14,000 | 14,82,862 | 18,96,862 |
| 18 | Supplies, Industries and Minerals | (Revenue) | 4,57,93,000 | — | 4,57,93,000 |
| 19 | Social Justice and Empowerment | (Revenue) | 4,30,82,926 | — | 4,30,82,926 |

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rs. | Rs. | Rs. |
| 20 | Rural Development | (Revenue) | 4,38,63,000 | — | 4,38,63,000 |
| 23 | Water and Power Development | (Revenue) | 61,27,000 | — | 61,27,000 |
| | | (Capital) | 1,00,00,000 | — | 1,00,00,000 |
| 24 | Printing and Stationery | (Revenue) | 3,06,000 | — | 3,06,000 |
| 26 | Tourism and Civil Aviation | (Revenue) | 14,00,000 | — | 14,00,000 |
| 27 | Labour, Employment and Training | (Revenue) | 1,30,595 | — | 1,30,595 |
| 28 | Water Supply, Sanitation, | (Revenue) | 8,13,41,000 | — | 8,13,41,000 |
| | Housing and Urban Development | (Capital) | 50,12,32,000 | 83,58,000 | 50,95,90,000 |
| 29 | Finance | (Revenue) | 40,20,000 | 7,000 | 40,27,000 |
| | | (Capital) | — | 43,40,48,532 | 43,40,48,532 |
| 30 | Miscellaneous General Services | (Revenue) | 5,23,63,000 | — | 5,23,63,000 |
| | | (Capital) | 54,69,000 | — | 54,69,000 |
| 31 | Tribal Development | (Revenue) | 2,70,02,000 | — | 2,70,02,000 |
| | | (Capital) | 5,57,12,000 | — | 5,57,12,000 |
| | | Grand Total | 1,49,18,28,346 | 45,41,32.664 | 1,94,59,61,010 |
| | | (Revenue) | 84,71,04,346 | 1,06,86,505 | 85,77,90,851 |
| | | (Capital) | 64,47,24,000 | 44,34,46,159 | 1,08,81,70,159 |

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2003-2004.

VIRBHADRA SINGH,
*Chief Minister.*

SHIMLA :
*The 27th February*, 2004.

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

**[Finance Department File No. Fin. A.C. (2)19/2003]**

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2004 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

# THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2004

A

## BILL

*to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 2004.*

VIRBHADRA SINGH,
*Chief Minister.*

---

J. L. GUPTA,
*Secretary (Law).*

SHIMLA :
*The 27th February*, 20004.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मद्रित तथा प्रकाशित